



2026:AHC:124767-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 8291/2026 एवं तीन अन्य वाद

पुष्पा देवी थराद

.....

याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....

प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता: आदित जोशी, पवन कुमार राव

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: दिनेश कुमार सिंह, शासकीय अधिवक्ता, सिद्धार्थ
जायसवाल

न्यायालय संख्या - 39

माननीय न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह

माननीय न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री पवन कुमार राव, राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सिंह, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. यह याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"(i) दिनांक 28.10.2025 को धारा 406, 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा अपराध संख्या 112/2025 के रूप में स्वरूप नगर पुलिस स्टेशन, जिला कानपुर नगर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए उत्प्रेक्षण प्रकृति का रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

(ii) याचिकाकर्ता के सम्बन्ध में इस माननीय न्यायालय के मध्यस्था केंद्र द्वारा दिनांक 19.03.2026 को तैयार किये गए समझौता ज्ञापन पर विचार करने या निर्देश जारी किया जाए, जो कि दिनांक 28.10.2025 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 112/2025 कि धारा 406, 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के तहत जाँच के सम्बन्ध में स्वरूप नगर पुलिस थाना जिला कानपुर नगर में दर्ज है।"

3. प्रारंभ में, बार में यह कहा गया है कि एक ही मुकदमा अपराध संख्या से संबंधित, मुख्य आरोपी राधिका थराद उर्फ राधिका गर्ग और राघव थराद के प्रकरण में, आपराधिक विविध रिट याचिका (सीआरएलपी) संख्या 25580/2025 में दिनांक 12.11.2025 को पारित आदेश के अनुसार, इस न्यायालय से संबद्ध मध्यस्थता केंद्र को प्रकरण भेजा गया था, जिसमें यह बताया गया है कि मध्यस्थता सफल रही। आगे यह भी कहा गया है कि 19.03.2026 को पक्षों के बीच समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया था, जिसमें खंड 7, 8 और 9 इस प्रकार हैं:

"7) आपराधिक विविध रिट याचिका (सीआरएलपी) संख्या 25580/2025 और दो अन्य संबंधित प्रकरणों, आपराधिक विविध रिट याचिका (सीआरएलपी) संख्या 25582/2025 और आपराधिक विविध रिट याचिका (सीआरएलपी) संख्या 27172/2025 में पक्षों के बीच निम्नलिखित समझौता हुआ है।

क) राधिका थराद उर्फ राधिका गर्ग, राघव थराद (याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2)

और लावी भारतीय (प्रत्यर्थी संख्या 4) उपस्थित हैं और उन्होंने कहा है कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उन्होंने अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और इस संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 4 ने दिनांकित एक नोटरीकृत शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है।" दिनांक 19.03.2020 को दिए गए शपथ-पत्र के पैरा 3 में उन्होंने यह वचन दिया है कि वे वर्तमान विवाद में आगे मुकदमा नहीं करना चाहतीं। उक्त शपथ-पत्र भी इस समझौता ज्ञापन का हिस्सा होगा और माननीय न्यायालय के अवलोकन हेतु संलग्न है।

ख) दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि अब उनके बीच विवाद या संघर्ष का कोई ठोस कारण नहीं बचा है और वे वर्तमान प्रकरण में कोई विवाद या मुकदमा नहीं करना चाहते।

ग) दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं और उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब से उनके एक-दूसरे के विरुद्ध कोई दावे या दायित्व नहीं हैं। अब उनके बीच अच्छे संबंध हैं और वे आगे मुकदमा नहीं करना चाहते।

घ) पक्षों के बीच यह भी सहमति हुई है कि वर्तमान विवाद के संबंध में उनके द्वारा एक-दूसरे के विरुद्ध दायर किए गए सभी प्रकरण संबंधित न्यायालय/प्राधिकरण के समक्ष उचित कदम उठाकर वापस ले लिए जाएंगे।

ख) पक्ष इस विवाद के संबंध में एक-दूसरे के विरुद्ध कोई नया प्रकरण दायर नहीं करेंगे। भविष्य में भी उनका एक-दूसरे के विरुद्ध कोई दावा नहीं है।

8.- इस समझौते पर हस्ताक्षर करके पक्षकार यह स्पष्ट करते हैं कि **आपराधिक विविध रिट याचिका (सीआरएलपी) संख्या 25580/2025** और इस संबंध में सभी विवाद और मतभेदों को पक्षकारों द्वारा सुलह/मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है।

9- यह समझौता पक्षकारों को उनके संबंधित अधिवक्ताओं की उपस्थिति में हिंदी में पढ़कर सुनाया गया और समझाया गया, जिसके बाद उन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।



4. पक्षकारों के बीच हुए उपरोक्त समझौते के मद्देनजर, मुख्य विवाद का समाधान हो गया है, क्योंकि पक्षकार आगे अभियोजन नहीं चलाना चाहते हैं। यह प्रार्थना की गई है कि रिट याचिकाओं को स्वीकार किया जाए और आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जाए।

5. पक्षों के बीच हुए समझौते और आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने कहा है कि उन्हें मांगी गई राहत पर कोई आपत्ति नहीं है।

6. तदनुसार, रिट याचिकाएं **स्वीकार की जाती हैं**। दिनांक 28.10.2025 को मुकदमा अपराध संख्या 112/2025 में धारा 406, 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के तहत पुलिस स्टेशन-स्वरूप नगर, जिला-कानपुर नगर में दर्ज एफआईआर को वर्तमान याचिकाकर्ताओं से संबंधित क्षेत्र तक **रद्द किया जाता है**।

2 जून, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह) (माननीय न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह)